R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 8
फरवरी 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

मामले की समीक्षा और पणधारकों (stakeholders) से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के कतिपय पहलुओं में आंशिक रूप से संशोधन किया है और उन्हें स्पष्ट भी किया है। इस समीक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क. एसडीआर:

- शेयरधारिता के न्यूनतम प्रतिशत में कटौती प्रारंभ में ऋणदाताओं द्वारा निर्निहित (divest) करके की जाए;
- ऋणदाताओं को कर्ज और अवशिष्ट ऋण एक्सपोजरों के एवज में अर्जित इक्विटी के मूल्य में संभावित हानि के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रावधान करना है;

ख. अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरूद्धार का ढांचा

- सुधारात्मक कार्य योजना के अनुमोदन की अपेक्षा की दृष्टि से संख्या के रूप में ऋणतादातों के प्रतिशत में कटौती;
- निर्णयन प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से जेएलएफ-ईजी की संशोधित संरचना;
- सुधारात्मक कार्य योजना के समय पर कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से जेएलएफ सदस्यों द्वारा निर्णयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन किए जाने के लिए प्रोत्साहन योजना;

ग. अग्रिमों की पुनर्संरचना

- उधारकर्ता खातों के ऐसे मामलों में पुनर्संरचना तथा आस्ति वर्गीकरण की अनुमति देना, जिनमें धोखाधड़ी की गई हो और जहां प्रवर्तकों को बदलकर नए प्रवर्तक शामिल किए गए हों तथा उधारकर्ता पूर्ववर्ती प्रवर्तकों से असंबद्ध हो गया हो;
- यह स्पष्ट किया जाता है कि ईसीबी को भी परियोजना ऋणों की लचीलेदार पुनर्संरचना की अनुमति है;

यह स्मरण हो कि रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें शामिल हैं : कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना तंत्र, बैंकों के अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन, दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीलेदार पुनर्संरचना तथा प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=36335)

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित रीति से भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन करें, जो कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश या निदेश के अधीन है :

- बैंक 01 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों हेतु भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन करेंगे और इसके लिए तुलनात्मक आंकड़े 31 मार्च 2018 या उसके बाद की अवधियों के होंगे। इंड एएस एकल वित्तीय विवरणों या समेकित वित्तीय विवरणों दानों के लिए लागू होंगे।
- बैंक उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार ही इंड एएस का प्रयोग करेंगे तथा उन्हें पूर्ववर्ती इंड एएस को अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया कि कंपनी के रोडमैप के होते हुए बैंकों की धारक (होल्डिंग), अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों को 01 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने चाहिए तथा इसके लिए तुलनात्मक आंकड़े 31 मार्च 2018 और उसके बाद की अवधियों के होंगे।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन की पहल तत्काल करने हेतु कार्यपालक निदेशक (या उसके समकक्ष) के एक अधिकारी की अध्यक्षता में और बैंक के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों के सदस्यों को समाहित करते हुए एक संचालन समिति का गठन करें। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति इंड एएस कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करेगी तथा वह बोर्ड को तिमाही अंतराल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैंक 30 सितंबर 2016 को समाप्त होने वाली छमाही से रिज़र्व बैंक को इंड एएस वित्तीय विवरण प्रोफार्मा प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। इस कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अप्रैल 2016 से इस संबंध में बैंकों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करेगा।

बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इंड एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति तथा इस दिशा में की गई प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे। ऐसा प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर कार्यान्वयन पर्यंत किया जाएगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10274&Mode=0)

चलनिधि मानकों संबंधी बासेल-।।। ढांचा

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के परिकलन की दृष्टि से अपने चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि की प्राप्ति सुविधा (एफएएलएलसीआर) के अंतर्गत अपनी निवल मांग व मीयादी देयताओं के और तीन प्रतिशत तक रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की गणना करने की अनुमति दी, जोकि स्तर-1 की उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधिगत आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षा के अंतर्गत हो। यह बैंकों के एलसीआर के परिकलन के प्रयोजन से स्तर-1 की एचक्यूएलए के रूप

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार संबंधी संशोधित दिशानिर्देश	1
• भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन	1
• चलनिधि मानकों संबंधी बासेल-।।। ढांचा	1
• विधिक अभिभावकता संबंधी प्रमाण-पत्र - मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम	2
छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16	**2**
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा विनियमावली को युक्तिसंगत बनाया	2
• विदेशी मुद्रा का कब्जे में रखा जाना और प्रतिधारण	2
• विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन (रीपैट्रिएशन) और अभ्यर्पण (सरेंडर)	2
• स्टार्ट-अप के लिए छूट	3
• मुद्राओं में निर्यात / आयात लेनदेन का निपटान	4
• आर-रिटर्न का संकलन: फेटर्स के अंतर्गत रिपोर्टिंग	4
• विदेश में धारित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन	4
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• आरटीजीएस सेवा प्रभार	4
गैर बैंकिंग विनियमन	
• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) -फैक्टर निदेश	4
सहकारी बैंकिंग	
• ब्याज समतुल्यीकरण योजना	4

में बैंकों के लिए अनुमत आस्तियों के अतिरिक्त है। इस प्रकार, बैंकों को उपलब्ध एसएलआर से निकाला गया कुल हिस्सा उनकी एनडीटीएल के 10 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजन से बैंकों को अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य का परिकलन उनके मौजूदा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं करने की प्रथा जारी रखनी चाहिए (चाहे धारित प्रतिभूति किसी भी वर्ग की हो)। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10279&Mode=0)

विधिक अभिभावकता संबंधी प्रमाण-पत्र - मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम

रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को यह स्पष्ट किया कि बैंकों को ऐसे मामलों में ही अभिभावक की नियुक्ति करना ज़रूरी है जहां वे अपने-आप या उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वह वैध व विधिक रूप से बाध्यकारी संविदा करने में असमर्थ है। रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों को आम तौर पर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, ''जिसे किसी मानसिक विकृति के कारण उपचार ज़रूरी है'', से अभिभावक की नियुक्ति के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से अस्वस्थ सभी व्यक्तियों से अभिभावकता संबंधी प्रमाण-पत्र के लिए बैंकों द्वारा आग्रह किए जाने के मामलों को लेकर प्राप्त फीडबैक के बाद ये स्पष्टकीरण दिए गए हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10280&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा विनियमावली को युक्तिसंगत बनाया

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत जारी नौ विनियमों में संशोधन किया। परिणामस्वरूप, तत्संबंधी मूल अधिसूचनाएं और परवर्ती संशोधन निरसित हो गए हैं। आसान पहचान के लिए संशोधित विनियमों में वे संख्याएं होंगी जो पुराने विनियमों में थीं और उनके साथ प्रकाशन वर्ष तथा इसके बाद अंग्रेजी वर्ण '(R)' होगा। इसका उद्देश्य बाह्य व्यापार व भुगतानों से संबंधित सीमापार लेनदेनों में उभरते कारोबार परिवेश तथा बदलती प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में इन विनियमों को समेकित करना व युक्तिसंगत बनाना है ताकि कारोबार संचालन को सहज बनाया जा सके। संशोधित विनियमों के संबंध में 04 फरवरी 2016 को जारी किए गए कतिपय महत्वपूर्ण एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :

विदेशी मुद्रा का कब्जे में रखा जाना और प्रतिधारण

रिज़र्व बैंक ने 04 फरवरी 2016 को विदेशी मुद्रा या विदेशी सिक्कों के कब्जे में रखे जाने या प्रतिधारण के लिए सीमाओं के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया :

- प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा और सिक्कों का अपने कब्जे में रखने की कोई सीमा नहीं, जो कि उसके प्राधिकार के दायरे में है;
- किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी सिक्कों का अपने कब्जे में रखे जाने संबंधी कोई सीमा नहीं होना;
- भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा 2000 अमेरिकी डॉलर या कुल मिलाकर उसके सममूल्य के विदेशी करेंसी नोटों, बैंक नोटों और विदेशी मुद्रा के यात्री चेकों का प्रतिधारण किया जाना, बशर्ते ऐसी विदेशी मुद्रा उसके द्वारा अर्जित की गई हो:

क) भारत के बाहर किसी भी स्थान का दौरा करते समय विभिन्न सेवाओं के लिए किए जाने वाले ऐसे भुगतान, जो किसी कारोबार की वजह से या भारत में की गई किसी कृति पर नहीं किए गए हों, के माध्यम से; या

ख) ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत में निवासी न हो या जो भारत का दौरा कर रहा हो, किन्हीं सेवाओं के लिए मानदेय या उपहार के रूप में या विधिसम्मत दायित्व के निपटान में; या

ग) भारत के बाहर किसी भी स्थान के दौरे के दौरान मानदेय या उपहार के माध्यम से; या

घ) विदेशी यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से उसे प्राप्त विदेशी मुद्रा की अव्ययित राशि हो।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया कि भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति, किंतु जो वहां का स्थायी निवासी नहीं हो, के मामले में करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा रखने के लिए कोई सीमा नहीं है, बशर्ते ऐसी विदेशी मुद्रा को उसने उस समय अर्जित, धारित किया था या स्वामित्वाधीन रखा था जब वह भारत के बाहर निवासी था और इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमावली के अनुसार उसे भारत में लाया था। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10271&Mode=0)

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16

मौजूदा और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के मूल्यांकन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 02 फरवरी 2016 को घोषित अपने छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में यह निर्णय लिया कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रेपो दर को 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- नीलामियों के माध्यम से बैंक-वार निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.25 प्रतिशत पर ओवर नाइट रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना तथा बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक 14-दिवसीय मीयादी रेपो के साथ-साथ दीर्घावधिक रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए; तथा
- चलनिधि की सुलभता के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर मीयादी रेपो और प्रतिवर्ती रेपो जारी रखे जाएं।

परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 7.75 पर बनी रहेंगी।

वर्ष 2016-17 के लिए पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 05 अप्रैल 2016 को घोषित किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन (रीपैट्रिएशन) और अभ्यर्पण (सरेंडर)

रिज़र्व बैंक ने 04 फरवरी 2016 को प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन (रीपैट्रिएशन) और अभ्यर्पण (सरेंडर) संबंधी विनियम सूचित किए, जोकि निम्नानुसार हैं :

प्राप्य विदेशी मुद्रा की वसूली के मामले में व्यक्तियों का कर्तव्य :

भारत में निवासी वह व्यक्ति ऐसी विदेशी मुद्रा की वसूली और प्रत्यावर्तन के लिए सभी वाजिब कदम उठाएगा जिसे विदेशी मुद्रा की कोई राशि प्राप्य हो या उपचित हो गई हो, तथा वह किसी भी मामले में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने से परहेज नहीं करेगा या ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा या करने से परहेज करेगा जो/जिससे (क) उसे होने वाली विदेशी मुद्रा की संपूर्ण या आंशिक प्राप्ति में देरी करे ; या (ख) उसे होने वाली विदेशी मुद्रा की संपूर्ण या आंशिक प्राप्ति बंद हो जाए।

प्रत्यावतेन की रीति :

(1) प्राप्य विदेशी मुद्रा की वसूली हो जाने पर वह व्यक्ति उसका भारत में प्रत्यावर्तन करेगा, अर्थात् उसे भारत में लाएगा या प्राप्त करेगा।

(2) उस मामले में यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारत में विदेशी मुद्रा की वसूली का प्रत्यावर्तन कर लिया है जब वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में स्थित बैंक में या विनिमय गृह में रखे गए खाते, जिसे किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखा गया हो, से रुपया में भुगतान भारत में प्राप्त करता हो।

वसूली गई विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण की अवधि:

वह व्यक्ति, जो भारत में निवासी नहीं हो, वसूली गई विदेशी मुद्रा की बिक्री निर्धारित अवधि के भीतर किसी प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा।

कतिपय मामलों में अभ्यर्पण की अवधि :

(1) वह व्यक्ति, जो भारत में निवासी नहीं है और ऐसी विदेशी मुद्रा, जो प्राधिकृत व्यापारी को घोषित प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अर्जित या खरीदी गई हो, का उपयोग नहीं करता हो, अर्जन या खरीद की तारीख से 60 दिन के भीतर प्राधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार की विदेशी मुद्रा या उसका अप्रयुक्त अंश का अभ्यर्पण किसी प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा/करेगी।

(2) यदि किसी व्यक्ति, जो भारत में निवासी नहीं हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी यात्रा के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा अर्जित या खरीदी गई हो तो भारत में उस यात्री की वापसी की तारीख से 90 दिन के भीतर ऐसी विदेशी मुद्रा की अव्ययित शेष राशि का अभ्यर्पण किसी प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा (करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में अव्ययित विदेशी मुद्रा के मामले में); तथा भारत में उस यात्री की वापसी की तारीख से 180 दिन के भीतर ऐसी विदेशी मुद्रा की अव्ययित शेष राशि का अभ्यर्पण किसी प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा (यात्री चेकों के रूप में अव्ययित विदेशी मुद्रा के मामले में)।

रिज़र्व बैंक ने संशोधित विनियमों में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त/वसूली गई/अव्ययित/अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण की अवधि का भी उल्लेख किया है तथा यह सूचित किया है कि ये विनियम नेपाल या भूटान की करेंसी के रूप में विदेशी मुद्रा पर लागू नहीं होंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10269&Mode=0)

करेंसी लाने व ले जाने संबंधी विनियम

रिज़र्व बैंक ने 04 फरवरी 2016 को प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को करेंसी लाने व ले जाने संबंधी निम्नलिखित विनियम सूचित किए :

भारतीय करेंसी और करेंसी नोटों का लाया जाना व ले जाया जाना

1) भारत में रहने वाला निवासी, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹25,000 तक की राशि के भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत के बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है। जहां तक स्मारक सिक्के का मामला है प्रत्येक रूप से दो सिक्कों तक भारत के बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है या भेज सकता है। जो अल्पकालिक दौरे पर भारत के बाहर गया हो, वह भारत के बाहर किसी भी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से वापस लौटते समय अपने साथ प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹25,000 तक की राशि के करेंसी नोटों को भारत में ला सकता है।

2) भारत के बाहर का रहने वाला ऐसा निवासी, जो पाकिस्तान और बंगलादेश का नागरिक नहीं हो, तथा जो भारत का दौरा कर रहा हो, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹25,000 तक की राशि के करेंसी नोटों को भारत के बाहर ले जा सकता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹ 25,000 तक की राशि के करेंसी नोटों को भारत में ले आ सकता है।

भारत में विदेशी मुद्रा लाना

कोई व्यक्ति करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर अन्य किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा भारत में भेज सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है; भारत के बाहर से किसी भी स्थान से विदेशी मुद्रा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, (बिना निर्गमित नोटों को छोड़कर) भारत में ला सकता है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति भारत में अपने आगमन के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को करेंसी घोषणा फार्म (सीडीएफ) में घोषणा प्रस्तुत करे।

विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का ले जाया जाना

- कोई प्राधिकृत व्यक्ति कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में अर्जित ऐसी विदेशी मुद्रा भारत के बाहर भेज सकता है,जो विदेशी मुद्रा खाते पर आहरित चेक के रूप में धारित हो; उसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति से आहरित प्राप्त विदेशी मुद्रा; जहाजों या हवाई जहाजों में रखी गई या जहाज या हवाई जहाज पर ले जाई गई मुद्रा, जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक से अनुमति ली गई हो।
- कोई व्यक्ति विदेशी यात्रा से वापस आते समय उसके द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और उसके द्वारा भारत में वापस लाई गई अव्ययतित विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर ले जा सकता है और इसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का कब्जा और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार रख सकता है।
- भारत के बाहर रहने वाला कोई भी निवासी अव्ययतित विदेशी मुद्रा की उतनी राशि भारत के बाहर ले जा सकता है जितना वह लाया था और जितनी राशि करेंसी घोषणा फार्म (सीडीएफ) में उसने घोषित की है।

रिज़र्व बैंक ने अपने संशोधित विनियमों में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को नेपाल और भूटान करेंसी ले जाने या वहां से करेंसी लाए जाने तथा भारतीय सिक्कों के निर्यात संबंधी प्रतिबंध भी सूचित किया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10268&Mode=0)

अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण

रिज़र्व बैंक ने 4 फ़रवरी 2016 को प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया कि निम्नलिखित मामलों के अलावा भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी अचल संपत्ति के अधिग्रहण या हस्तांतरण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी:

1) भारत में निवासी किसी विदेशी नागरिक द्वारा संपत्ति भारत से बाहर धारित की गई हो;

2) किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति 8 जुलाई 1947को या उससे पहले प्राप्त की गई हो और रिज़र्व बैंक की अनुमति से धारित की गई हों,

3) संपत्ति निर्दिष्ट व्यक्तियों से उपहार या उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त कर ली गई हो;

4) संपत्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते)विनियमावली, 2015 के अनुसार निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में धारित निधि से खरीदी गई हों;

5) संपत्ति किसी रिश्तेदार,जो भारत के बाहर जहां भारत से धन का कोई बहिर्वाह नहीं है,वहां का निवासी हो,जिसके साथ संपत्ति संयुक्त रूप से हासिल कर ली गई हों;

6) संपत्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति से विरासत या उपहार के माध्यम से प्राप्त कर ली गई हो जो उसके द्वारा अधिग्रहण के समय प्रभावी विदेशी मुद्रा प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित की हो।

एक भारतीय कंपनी जिसके विदेशों में कार्यालय हों अपने कारोबार और आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती हैं, बशर्ते कुल प्रेषण प्रारंभिक और आवर्ती व्यय के लिए क्रमशः निर्धारित निम्नलिखित सीमा से अधिक न हों:

- भारतीय इकाई के पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय या कारोबार का 15 प्रतिशत या निवल मूल्य का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो ;
- पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/आय या कारोबार का 10 प्रतिशत। https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10264&Mode=0)

स्टार्ट-अप के लिए छूट

भुगतान की स्वीकृति

रिज़र्व बैंक ने कारोबार करने में सुविधा के लिए स्टार्ट-अप के मामले में भुगतान की स्वीकृति के संबंध में 11 फ़रवरी 2016 को निम्नानुसार कुछ स्पष्टीकरण जारी किए:

- विदेशी सहायक कंपनी के साथ भारत में शुरूहुए एक स्टार्ट-अप को उसके द्वारा किए गए निर्यात / बिक्री से विदेशी मुद्रा आय इकट्ठा करने के लिए विदेशों में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी गई है;
- स्टार्ट-अप की विदेशी सहायक कंपनी को भारत के निवासियों और विदेशों में रहनेवाले गैर निवासियों के साथ लेनदेन से उत्पन्न अपनी प्राप्तियां स्टार्ट-अप के नाम पर विदेश में खोले गए उपर्युक्त विदेशी मुद्रा खाते में इकट्ठा करने के लिए अनुमति दी गई है;
- उपर्युक्त विदेशी मुद्रा खाते में भारतीय स्टार्ट-अप को देय राशि भारत में शेष निर्यात की प्राप्ति के लिए लागू अवधि के भीतर (वर्तमान में नौ महीने) प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए;
- स्टार्ट-अप को अपनी विदेशी सहायक कंपनी की 10,000 अमरीकी डालर या उससे अनधिक मूल्य सीमा अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस सुविधा के तहत अनुमत सीमा तक की प्राप्तियों को ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपी) के माध्यम से वसूल अथवा प्रत्यावर्तित करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई है;
- उपर्युक्त व्यवस्था की सुविधा के लिए स्टार्ट-अप,उसकी विदेशी सहायक कंपनी और संबंधित ग्राहकों के बीच एक उचित संविदात्मक व्यवस्था होनी चाहिए।(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10277&Mode=0)

शेयर जारी करना

रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को स्पष्ट किया है कि भारतीय कंपनियों को (i) निवेशक द्वारा नकद भुगतान के बिना श्रम जन्य इक्विटी के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन शेयर; और (ii) निवेशी कंपनी द्वारा देय किसी भी अन्य फंडों पर इक्विटी शेयर (जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिग्रहण या प्रयोग के लिए, माल के आयात के लिए भुगतान, लाभांश के भुगतान, ब्याज भुगतान, परामर्श फीस, आदि) जारी करने की अनुमति दी गई है जिसके प्रेषण के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10278&Mode=0)

स्पष्टीकरण, 2015-16 के लिए छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप जारी किया गया, ताकि स्टार्ट-अप के मामले में कारोबार में सुविधा के लिए, मौजूदा व्यवस्था के तहत कुछ अनुमत लेनदेनों को स्पष्ट किया जाए।

मुद्राओं में निर्यात / आयात लेनदेन का निपटान

प्रक्रिया को अधिक उदार बनाने और निर्यात और आयात के लेन-देनों के निपटारे में सुविधा के लिए जहां चालान एक निर्बाध रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में है और निपटान लाभार्थी की मुद्रा में है, जो परिवर्तनीय है हालांकि एक प्रत्यक्ष विनिमय दर उपलब्ध नहीं है के मामले में रिज़र्व बैंक ने 4 फ़रवरी 2016 को अधिकृत डीलर श्रेणी I बैंकों को इस तरह के निर्यात और आयात लेनदेनों (एसीयू तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों को छोड़कर) को निपटाने के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी ।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10263&Mode=0)

आर-रिटर्न का संकलन : फेटर्स के अंतर्गत रिपोर्टिंग

11 फरवरी 2016 को रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा कारोबार-इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए आर-रिटर्न के संकलन पर दिशा निर्देशों को अप्रैल 2016 के पहले पखवाड़े (अर्थात 1 अप्रैल 2016 से होनेवाले लेनदेनों की रिपोर्टिंग) से निम्ननुसार संशोधित किया:

i) वर्तमान की ईमेल आधारित प्रस्तुती को वेब-पोर्टल आधारित डेटा प्रस्तुती द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii) बैंकों के नोडल कार्यालयों को डेटा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त लॉगिन नाम और पासवर्ड के साथ वेब-पोर्टल https://bop.rbi.org.in को ॲक्सेस करना होगा।

iii) बैंकों को पोर्टल पर फेटर्स के डेटा फ़ाइल जमा करने से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त सत्यापनकर्ता टेम्पलेट डाउनलोड करके डेटा फ़ाइल में त्रुटि यदि कोई हो,की ऑफ लाइन जांच करनी चाहिए।

iv) पुष्टि के बाद फाइल को अपलोड करने पर, बैंकों को प्राप्ति-सूचना मिल जाएगी। वे डाउनलोड की सुविधा के साथ डेटा फ़ाइलों को देख सकते हैं और पहले प्रस्तुत लेनदेन के लिए उद्देश्य (पर्पस) कोड में संशोधन भी कर सकते हैं।

v) बैंक (क) अपने बैंक के एडी कोड रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा (ख) एडी संवर्ग अद्यतन कर सकते हैं, जिसे प्रमाणीकरण के बाद रिजर्व बैंक द्वारा ई-मास्टर डेटाबेस में शामिल किया जाएगा।

vi) उद्देश्य(पर्पस) कोड पी 0105 [निर्यात बिल (माल के संबंध में) वसूली के लिए प्रेषित - नेपाल और भूटान के अलावा अन्य] और पी 0107 [एनपीडी निर्यात बिलों की वसूली (बिल के पूरे मूल्य को सूचित किया जाए) - नेपाल और भूटान के अलावा अन्य] को बंद कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह भी सूचित किया कि फेटर्स पर्पस कोड को S0023 के अंतर्गत सामूहिक रूप से रिपोर्ट करने के बजाय संबंधित फेटर्स पर्पस कोड के अंतर्गत एलआरएस (जैसे यात्रा, वैद्यकीय चिकित्सा , अचल संपत्ति की खरीद, विदेशों में अध्ययन, करीबी रिश्तेदारों की देखभाल आदि) से संबंधित लेन-देनों को रिपोर्ट करें और ग्राहकों को फार्म ए 2 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान करें और इसके अलावा आवश्यकतानुसार दस्तावेजों को अपलोड / प्रस्तुत करने में उन्हें सक्षम बनाएं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10276&Mode=0)

विदेश में धारित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी 2016 को घोषित किया कि भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों, जिनकी 'काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015(2015 का 22) (काला धन अधिनियम) के अंतर्गत घोषणा की गई हैं के विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के अंतर्गत नियमितीकरण से संबंधित आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में विचार किया जाएगा। इस संबंध में आवेदन प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी निवेश प्रभाग, (एनआरएफएडी)), केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई -400001 को संबोधित किए जाएं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=36214)

भुगतान और निपटान प्रणाली

आरटीजीएस सेवा प्रभार

रिजर्व बैंक ने 4 फ़रवरी 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीजीएस सेवाओं के लिए पर्याप्त रूप से मूल्य निर्धारित किए गए हैं, सदस्यों के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया और उन पर लगाए गए मूल्यों को युक्तिसंगत बनाया। सदस्यों के इन्वर्ड लेनदेनों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगेगा और पहले की तरह उनका शुल्क-मुक्त होना जारी रहेगा। सदस्यता शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है और यह अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ₹5000 और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य बैंकों, प्राथमिक डीलरों, समाशोधन संस्थाओं अन्य विशेष संस्थाओं आदि के लिए ₹2500 है। प्रत्येक आउटवर्ड लेनदेन पर एकसमान प्रसंस्करण शुल्क ₹ 0.50 (सेवा कर को छोड़कर) पहले की उच्चतम सीमा के अनुसार और अलग-अलग समय के लिए निर्धारण के अनुसार रहेगा। आरटीजीएस सदस्यों के लिए संशोधित सेवा शुल्क 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो जाएगा।(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10260&Mode=0)

गैर बैंकिंग विनियमन

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) -फैक्टर निदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 फरवरी 2016 को बैंकों द्वारा फैक्टरिंग सेवाओं के प्रावधान पर दिशा-निदेशों की समीक्षा की तथा कुछ शर्तें विनिर्दिष्ट की जिसके तहत बैंक विभागीय स्तर से फैक्टरिंग गतिविधियां कर सकते है।

विवेकपूर्ण मानदंड- एनपीए का पहचान करना

यह स्पष्ट किया जाता है यदि एनबीएफसी-फैक्टर के द्वारा अधिग्रहण प्राप्य का विशिष्ट अधिनियमों/निदेशों की यथालागू शर्तों के अनुसार, समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एनबीएफसी- फैक्टर द्वारा अधिग्रहण कब किया गया है तथा फैक्टरिंग का कार्य ''दायित्व सहित'' या ''दायित्व रहित'' आधार पर किया गया है।

एक्सपोजर मानदंड- एकल और समूह उधारकर्ता सीमाएं

यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेडिट मानदंड संकेन्द्रण के अनुपालन के प्रयोजन हेतु एक्सपोजर की गणना निम्नवत की जाएगी:

(क) ''दायित्व सहित'' आधार पर फैक्टरिंग के मामले में जोखिम की गणना समनुदेशक पर की जाएगी।

(ख) ''दायित्व रहित'' आधार पर फैक्टरिंग के मामले में, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग के मामलों को छोड़कर जिनमें संपूर्ण ऋण जोखिम को आयात फैक्टर द्वारा धारण किया गया है, जोखिम की गणना देनदार पर की जाएगी, चाहे ऋण जोखिम कवर/ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हो अथवा नहीं हो।

जोखिम प्रबंधन

इस तरह का कारोबार शुरू करने से पहले उचित और पर्याप्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

सूचना का विनिमय

सूचना के विनिमय के प्रयोजन से समनुदेशक को उधारकर्ता ही माना जाएगा। फैक्टरों और बैंकों को उभयनिष्ठ उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। दोहरे वित्तपोषण से बचने के लिए फैक्टरों द्वारा ऋण के लिए स्वीकृत सीमाओं के बारे में और फैक्टरिंग की गई ऋण राशियों के ब्योरे संबंधित बैंकों/एनबीएफसी को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10286&Mode=0)

एनपीएस के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवाएं

रिजर्व बैंक ने 18 फ़रवरी 2016 को जनता के हित में फैसला किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवाएं शुरू नहीं करेंगी। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10284&Mode=0)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की निगरानी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 फरवरी 2016 को केन्द्रीय धोखाधड़ी नियंत्रण कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति हेतु धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की वर्तमान सीमा ₹25 लाख को तत्काल प्रभाव से ₹1 करोड़ के रूप में संशोधित कर दिया है।

संशोधित सीमा से नीचे की धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा धोखाधड़ी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति के संबंध में, एनबीएफसी को इसे गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10287&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग

ब्याज समतुल्यीकरण योजना

रिजर्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को अधिकृत डीलर श्रेणी I लाइसेंस धारित करने वाली अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जो पात्र निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना के तहत पात्र हैं , को सूचित किया कि प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निर्धारित परिचालन प्रक्रिया का विशेष रूप से ब्याज समीकरण लाभ निर्यातकों तक पारित करने के लिए और पात्र निर्यातकों जिन्हें ब्याज समीकरण लाभ पहले ही पारित किया गया है उसकी प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्रक्रिया का पालन करें । (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10281&Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**